

उत्तर प्रदेश सरकार
पुलिस विभाग ललितपुर

पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पत्र संख्या-सीओजे-एसी-3-11(पीओडब्लूएसआर) 2013 दिनांक 03.12.14 द्वारा अनुमोदित विशेष मरम्मत के कुल 05 कार्यो जनपद मुख्यालय स्थित, पुलिस लाइन, भवनों, चार दीवारी, जल निकासी हेतु नाली के कार्यो की विशेष मरम्मत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है :-

विशेष मरम्मत कार्य जनपद ललितपुर स्थित पुलिस लाइन विभिन्न पुलिस भवन, चार दीवारी :-

1-	क्षेत्राधिकारी सदर के कार्यालय के छत की विशेष मरम्मत।	रु0 70,000-00
2-	पुलिस लाइन में परिवहन शाखा के कार्यालय एवं 02 गैरिजों के छत की विशेष मरम्मत।	रु0 1,00,000-00
3-	पुलिस लाइन में आर0आई0 कालोनी के आवास संख्या-1 व 02 के छत व आगन की विशेष मरम्मत।	रु0 50,000-00
4-	पुलिस लाइन में एल0आई0यू0 इस्पेक्टर के आवास से लेकर महिला कल्याण केन्द्र कालोनी तक नाली की विशेष मरम्मत।	रु0-2,00,000-00
5-	पुलिस लाइन में नई कालोनी में आवास संख्या-25 से 36 तक के पीछे नाली की विशेष मरम्मत।	रु0. 1,00,000-00
6-	क्षेत्रपाल कालोनी के पांचो ब्लाकों की छत की विशेष मरम्मत।	रु0 2,00,000-00
7-	क्षेत्रपाल कालोनी के पांचों ब्लाको के खिडकी व दरवाजों की विशेष मरम्मत।	रु0 2,00,000-00
8-	आर0आई0 कालोनी के सभी ब्लाकों के दरवाजे व खिडकी की विशेष मरम्मत।	रु0 1,50,000-00

विशेष मरम्मत कार्य जनपद ललितपुर स्थित थानाजात :-

1-	थाना कोतवाली के लेट्रिन टैंक की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000,-00
2-	थाना कोतवाली में नाली की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000-00
3-	थाना कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के आवास के बाथरूम व शौचालय की विशेष मरम्मत-	रु0 40,000-00
4-	थाना कोतवाली के टाईप प्रथम के 08 व टाईप तृतीय के 02 आवासों की रंगाई पुताई-	रु0 20,000-00
5-	थाना तालबेहट के थाना कार्यालय के छत की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000-00
6-	थाना तालबेहट के मालखाना भवन की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000-00
7-	थाना बालाबेहट के थाना कार्यालय के छत की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000-00
8-	थाना बालाबेहट के 08 आवासीय भवनों के छत की विशेष मरम्मत-	रु0 50,000-00
9-	थाना बालाबेहट में बैरक की छत व मेस की विशेष मरम्मत-	रु0 40,000-00

.....

निविदाओं के सम्बन्ध में शेष शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हैं जिसका अवलोकन कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं।

- 1- उपरोक्त विशेष कार्य हेतु मुहरबन्द लिफाफा दिनांक 26-12-2014 को दोपहर 02:00 बजे जिसके ऊपर कार्य का विवरण अंकित है, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। विशेष विवरण खजाने के फार्म-443 में परिशिष्ट-2 पर है।
- 2- निविदा में पूरे कार्यो के लिये साफ-साफ खर्चा दिया जाना चाहिये और जब निर्माण के परिशिष्ट में विभिन्न कार्यो का विवरण होतो प्रत्येक के लिये खर्चा अलग अलग लिखा जाए। इस शर्त के पालन न करने पर निविदा अशुद्ध हो जायेगी, जो स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 3- निविदा उन फार्मों पर भरी जाने चाहिये जो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रुपया-50/- प्रति फार्म की दर से प्राप्त किये गये हो।
- 4- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व दस प्रतिशत सिक्योरिटी मनी दाखिल करना होगा।
- 5- ठेकेदार द्वारा टेण्डर के साथ भवन निर्माण खण्ड अथवा जिला परिषद द्वारा निर्गत किया गया ठेकेदारी प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु अनुमन्य हो की छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।

- 6— विशेष मरम्मत कार्यों के लिये निविदा में वर्णित कुल धनराशि का एक प्रतिशत धनराशि खजाने में जमा करनी होगी। उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसके साथ अर्नेस्टमनी की धनराशि संलग्न नहीं किया गया होगा।
- 7— टेण्डर स्वीकृत हो जाने की सूचना ठेकेदार को प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर टेण्डर स्वीकृति की धनराशि की सिक्योरिटी मनी की धनराशि पर प्रति हजार 125/- की दर से सरकारी स्टाम्प फीस दाखिल करना अनिवार्य होगा।
- 8— ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य के टेण्डर का बन्धक पत्र भरने के तत्काल बाद ही विशेष मरम्मत कार्य प्रारम्भ करके निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विशेष मरम्मत कार्य को विलम्ब से करने की स्थिति में स्वीकृत टेण्डर की धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- 9— स्वीकृत टेण्डर की धनराशि पर डेढ प्रतिशत की दर से कार्यपूर्ण होने पर भुगतान के समय पानी का मूल्य काट लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं की व्यवस्था के आधार पर पानी की व्यवस्था करना चाहता है। तो उसे कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रयोग में लाये गये पानी का बिल भी प्रस्तुत करना होगा।
- 10— यहां यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है किसी भी अधूरे कार्य के लिये सम्बन्धित विशेष मरम्मत का भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 11— ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य के विशेष मरम्मत कार्य के किसी प्रकार की अनियमितता बरतने पर टेण्डर निरस्त की कार्यवाही की जायेगी।
- 12— निविदा अधोहस्ताक्षरितकर्ता द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में निविदा होने की तिथि को ही 04:00 बजे दिन में खोले जायेंगे। वह व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी, निविदा के पीछे ठेके के कार्य को पूर्ण करने के लिये कहे जाने पर 07 दिवस के अन्दर धरोहर राशि एवं बन्धक पत्र स्टाम्प फीस आदि की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। ऐसा न करने पर उसके बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और निविदा की स्वीकृति रद्द/निरस्त कर दी जायेगी।
- 13— वह व्यक्ति जिसकी निविदा कच्चे तौर पर स्वीकृत किया जायेगा, उसको विशेष मरम्मत की आख्या से बन्धक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये बुलाये जाने की तारीख से 03 दिवस के अन्दर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर व्याने की धनराशि जब्त कर टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
- 14— यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसका टेण्डर स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा अधोहस्ताक्षरीयकर्ता द्वारा निर्धारित तारीख से ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये तथा निर्धारित अवधि के अन्दर उसे पूर्णतः समाप्त कर दे अन्यथा उसको अधिकतम 10 प्रतिशत के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 15— सरकार सबसे कम रकम निविदा अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
- 16— कार्य का स्पेशिफिकेशन (बिल ऑफ क्वान्टिटी)/आगणन कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।
- 17— आगणन के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा।

पत्र संख्या—भ-492/2014-15

दिनांक—दिसम्बर 2014

पुलिस अधीक्षक
ललितपुर

प्रतिलिपि—

- 1— पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी को कृपया अवलोकनार्थ।
- 2— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन 06 पार्क रोड चिडिया घर के पास उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में अपने स्तर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3— अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4— प्रतिसार निरीक्षक/प्रधान लिपिक/आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5— जिलाधिकारी, ललितपुर को 10 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित ठेकेदार को प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

- 6— प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद, ललितपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 7— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सा0नि0वि0 ललितपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 8— जोनल सहायक अभियन्ता(सिविल) कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9— परिक्षेत्रीय सहायक अभियन्ता (सिविल) कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी को सूचनार्थ।
- 10— जिला सूचनाधिकारी ललितपुर को 05 प्रतियों में इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन निशुल्क अपने स्तर से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- 11— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से जनपद के ठेकेदारों को सूचित कराने हेतु।
- 12— क्षेत्राधिकारी कार्यालय/भवन को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर कार्यालय में उपस्थित होकर टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराकर मंरे अवलोकनार्थ अनुमोदन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 13— प्रतिसार निरीक्षक ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि एक कान्स0 वाहक को निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग चिडियाघर लखनऊ आज ही रवाना करें जो इस आदेश की प्रति उक्त कार्यालय में प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद वापस लायेगा।
- 14— प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यो का प्रचार प्रसार किसी महत्वपूर्ण अखबार में कराना सुनिश्चित करें।
- 15— एक प्रति दफ्तरी को इस आशय से कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एक एक उक्त समस्त ठेकेदारों को सूचित कराने हेतु।
- 16— निम्नलिखित ठेकेदारों को सूचनार्थ एवं नियत तिथि पर कार्यालय में उपस्थित होकर समय से निर्देशानुसार टेण्डर डालने हेतु।
 - (1) ठेकेदार श्री हरीओम तिवारी नि0 कुईया बदरश जैन रोड,मोठ झांसी।
 - (2) ठेकेदार श्री कृष्ण कुमार राय नि0 बडा बाजार झांसी।
 - (3) ठेकेदार श्री गणेश प्रसाद कुशवाहा नि0 रामनगर थाना कोतवाली,ललितपुर
 - (4) ठेकेदार श्री अब्दुल नासिर मंसूरी नि0 7/11 लक्ष्मीपुरा ललितपुर।
 - (5) ठेकेदार श्री रामेश्वर मालवीय नि0 मु0 चौबयाना ललितपुर।
 - (6) ठेकेदार श्री सुन्दरलाल राठौर नि0 19 रामनगर ललितपुर।
 - (7) ठेकेदार श्री राजीव कुमार मिश्रा नि0 गांधीनगर नई बस्ती ललितपुर।

कार्यालय

पुलिस



अधीक्षक,

ललितपुर

पत्राक:-भ- /2014

दिनांक-दिसम्बर 2014

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

मानक	कार्य का विवरण	अनुमान की वास्तविक धनराशि
29-अनुरक्षण/विशेष मरम्मत	थाना बालाबेहट में बैरिक की छत व मेस की विशेष मरम्मत।	40,000-00 (रु० चालीस हजार मात्र)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये नियत धनराशि रु० 40,000-00 उक्त व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्षक/मद के नाम डाला जायेगा।

- 1- 2055 पुलिस आयोजनेत्तर-109'-जिला पुलिस-03 जिला पुलिस (मुख्य)-29-अनुरक्षण।
- 2- इस विषयक में 02 मई 1951 ई० के अंग्रेजी पुलिस गजट के पृष्ठ 254-156 पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-11-187-51 दिनांक 27.04.1951 ई० 26.12.1951 के अंग्रेजी पुलिस गजट के पृष्ठ 626-627 पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-11-'181-51 दिनांक 20.12.1951 ई० और 07.02.1954 ई० के अंग्रेजी पुलिस गजट के पृष्ठ 49 पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-11-183-52 दिनांक 11.02.1954 ई० में निहित निर्देशों का पूर्णतः तथा अवश्य पालन किया जाना चाहिये एवं उ०प्र० पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-1338-2011 दिनांक 23.12.11 के प्रस्तर-1 विशेष मरम्मत के बिन्दु संख्या-1.2 में निहित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- 3- जितनी धनराशि के लिये टेण्डर स्वीकृत किया गया की स्वीकृति की आख्या सम्बन्धित को भेजी जायेगी।
- 4- चालू वित्तीय वर्ष में कार्य अवश्य पूर्ण किया जाना चाहिये और उसके लिये भुगतान किया जाना चाहिये।
- 5- इस आज्ञा की स्वीकृति की सूचना होनी चाहिये।
- 6- धनराशि के भुगतान की तारीख की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय तुरन्त भेजनी चाहिये।
- 7- कार्य समाप्ति रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय शीघ्र भेजी जानी चाहिये।
- 8- कार्य लो०नि०वि० के विस्तृत विशिष्टियों के अनुसार तथा तकनीकी व्यक्ति की देखरेख में कराया जाये।
- 9- डिसमेन्टल मेटेरियल का नियमानुसार का निस्तारण करके पुलिस मुख्यालय को सूचित करें। आर०बी०/आर०सी०सी० का कार्य किसी तकनीकी व्यक्ति के देखरेख में कराया जाये।
- 10- कार्य समाप्ति के बाद डी०सी०बिल०/पी०एस०आर० रजिस्टर्ड पत्र द्वारा महालेखाकार इलाहाबाद को भेजकर उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को भी दी जाये।

पुलिस अधीक्षक
ललितपुर

उत्तर प्रदेश सरकार
पुलिस विभाग ललितपुर

पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन कानपुर के पत्र संख्या-केजेड-एसी-3-302(बि0मा0)2014 / 19206 दिनांक 29.10.14 द्वारा अनुमोदित विशेष मरम्मत के कार्यों पुलिस लाइन, भवनों, चार दीवारी, जल निकासी हेतु नाली एवं थानजात के अनावासीय भवनों के कार्यों की विशेष मरम्मत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती है :-

विशेष मरम्मत कार्य जनपद ललितपुर स्थित पुलिस लाइन विभिन्न पुलिस भवन, चार दीवारी :-

- 1- पुलिस लाइन में केन्टीन व मेस के पीछे टूटी हुई दीवार की विशेष मरम्मत । रुपया-75,000-00
- 2- पुलिस लाइन में नई कालोनी टाईप तृतीय के पीछे एल शेव में नाली की विशेष मरम्मत ।
रु01,75,000-00
- 3- पुलिस लाइन में क्षेत्रपाल कालोनी के आवास संख्या 33 से 36 तक के छज्जों की विशेष मरम्मत । रु0
50,000-00
- 4- पुलिस अधीक्षक आवास के मास्टर बेड रूम व डाईनिंग रूम के फर्श की विशेष मरम्मत ।
रु0-1,00,000-00
- 5- पुलिस अधीक्षक आवास के ड्राइंग रूम व ड्रेसिंग रूम के फर्श की विशेष मरम्मत । रु0. 1,00,000-00

.....

निविदाओं के सम्बन्ध में शेष शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हैं जिसका अवलोकन कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं।

- 1- उपरोक्त विशेष कार्य हेतु मुहरबन्द लिफाफा दिनांकको दोपहर 12:00 बजे जिसके ऊपर कार्य का विवरण अंकित हो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। विशेष विवरण खजाने के फार्म-443 में परिशिष्ट-2 पर है।
- 2- निविदा में पूरे कार्यों के लिये साफ-साफ खर्चा दिया जाना चाहिये और जब निर्माण के परिशिष्ट में विभिन्न कार्यों का विवरण होतो प्रत्येक के लिये खर्चा अलग अलग लिखा जाए। इस शर्त के पालन न करने पर निविदा अशुद्ध हो जायेगी, जो स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 3- निविदा उन फार्मों पर भरे जाने चाहिये जो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रुपया-50/- प्रति फार्म की दर से प्राप्त किये गये हो।
- 4- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार को प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व दस प्रतिशत सिक्क्योरिटी मनी दाखिल करना होगा।
- 5- ठेकेदार द्वारा टेण्डर के साथ भवन निर्माण खण्ड अथवा जिला परिषद द्वारा निर्गत किया गया ठेकेदारी प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु अनुमन्य हो की छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
- 6- विशेष मरम्मत कार्यों के लिये निविदा में वर्णित कुल धनराशि का एक प्रतिशत धनराशि खजाने में जमा करनी होगी। उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसके साथ अर्नेस्टमनी दाखिल नहीं किया गया होगा।
- 7- टेण्डर स्वीकृत हो जाने की सूचना ठेकेदार को प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर टेण्डर स्वीकृति की धनराशि की सिक्क्योरिटी मनी की धनराशि पर प्रति हजार 125/- की दर से सरकारी स्टाम्प फीस दाखिल करना अनिवार्य होगा।
- 8- ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य के टेण्डर का बन्धक पत्र भरने के तत्काल बाद ही विशेष मरम्मत कार्य प्रारम्भ करके निर्धारित समयावधिक के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विशेष मरम्मत कार्य को विलम्ब से करने की स्थिति में स्वीकृत टेण्डर की धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर की धनराशि से अर्धदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- 9- स्वीकृत टेण्डर की धनराशि पर डेढ प्रतिशत की दर से कार्यपूर्ण होने पर भुगतान के समय पानी का मूल्य काट लिया जायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा स्वयं की व्यवस्था के आधार पर पानी की व्यवस्था करना चाहता

- है। तो उसे कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रयोग में लाये गये पानी का बिल भी प्रस्तुत करना होगा।
- 10— यहां यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है किसी भी अधूरे कार्य के लिये सम्बन्धित विशेष मरम्मत का भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 - 11— ठेकेदार द्वारा स्वीकृत कार्य के विशेष मरम्मत कार्य के किसी प्रकार की अनियमितता बरतने पर टेण्डर निरस्त की कार्यवाही की जायेगी।
 - 12— निविदा अधोहस्ताक्षरितकर्ता द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में निविदा होने की तिथि को ही 04:00 बजे दिन में खोले जायेंगे। वह व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकृत की जायेगी, निविदा के पीछे ठेके के कार्य को पूर्ण करने के लिये कहे जाने पर 07 दिवस के अन्दर धरोहर राशि एवं बन्धक पत्र स्टाम्प फीस आदि की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। ऐसा न करने पर उसके बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और निविदा की स्वीकृति रद्द/निरस्त कर दी जायेगी।
 - 13— वह व्यक्ति जिसकी निविदा कच्चे तौर पर स्वीकृत किया जायेगा, उसको विशेष मरम्मत की आख्या से बन्धक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये बुलाये जाने की तारीख से 03 दिवस के अन्दर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर व्याने की धनराशि जब्त कर टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
 - 14— यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसका टेण्डर स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा अधोहस्ताक्षरीयकर्ता द्वारा निर्धारित तारीख से ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये तथा निर्धारित अवधि के अन्दर उसे पूर्णतः समाप्त कर दे अन्यथा उसको अधिकतम 10 प्रतिशत के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जिसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
 - 15— सरकार सबसे कम रकम निविदा अथवा किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
 - 16— कार्य का स्पेशिफिकेशन (बिल ऑफ क्वान्टिटी)/आगणन कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।
 - 17— आगणन के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा।

पत्र संख्या-भ-492/2012-13 पार्ट-द्वितीय

दिनांक-दिसम्बर

2013

पुलिस अधीक्षक
ललितपुर

प्रतिलिपि-

- 1— पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र झांसी को कृपया अवलोकनार्थ।
- 2— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन 06 पार्क रोड चिडिया घर के पास उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञापन को विभिन्न समाचार पत्रों में अपने स्तर से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3— अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4— प्रतिसार निरीक्षक/प्रधान लिपिक/आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5— जिलाधिकारी, ललितपुर को 10 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित ठेकेदार को प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 6— प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद, ललितपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 7— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सा0नि0वि0 ललितपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
- 8— जोनल सहायक अभियन्ता(सिविल) कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9— परिक्षेत्रीय अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी को सूचनार्थ।
- 10— जिला सूचनाधिकारी ललितपुर को 05 प्रतियों में इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन निशुल्क अपने स्तर से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- 11— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से जनपद के ठेकेदारों को सूचित कराने हेतु।
- 12— क्षेत्राधिकारी कार्यालय/भवन को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर कार्यालय में उपस्थित होकर टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराकर मंरे अवलोकनार्थ अनुमोदन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- 13— प्रतिसार निरीक्षक ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि एक कान्स0 वाहक को निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग चिडियाघर लखनऊ आज ही रवाना करें जो इस आदेश की प्रति उक्त कार्यालय में प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद वापस लायेगा।
- 14— प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यो का प्रचार प्रसार किसी महत्वपूर्ण अखबार में कराना सुनिश्चित करें।
- 15— एक प्रति दफतरी को इस आशय से कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एक एक उक्त समस्त ठेकेदारों को सूचित कराने हेतु।
- 16— निम्नलिखित ठेकेदारों को सूचनार्थ एवं नियत तिथि पर कार्यालय में उपस्थित होकर समय से निर्देशानुसार टेण्डर डालने हेतु।
- (1) ठेकेदार श्री हरीओम तिवारी नि0 कुईया बदरश जैन रोड,मोठ झांसी।
 - (2) ठेकेदार श्री कृष्ण कुमार राय नि0 बडा बाजार झांसी।
 - (3) ठेकेदार श्री गणेश प्रसाद कुशवाहा नि0 रामनगर थाना कोतवाली,ललितपुर
 - (4) ठेकेदार श्री अब्दुल नासिर मंसूरी नि0 7/11 लक्ष्मीपुरा ललितपुर।
 - (5) ठेकेदार श्री रामेश्वर मालवीय नि0 मु0 चौबयाना ललितपुर।
 - (6) ठेकेदार श्री सुन्दरलाल राठौर नि0 19 रामनगर ललितपुर।
 - (7) ठेकेदार श्री राजीव कुमार मिश्रा नि0 गांधीनगर नई बस्ती ललितपुर।